14/6/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील गैर हाजिर। काफी इंतजार के बाद बार-बार आवाज लगाई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी प्रार्थी व प्रार्थी वकील गैर हाजिर मिले। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अनावश्यक। अतः हानि व अहम पीड़ी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर वापस न्यायालय की जाकर दफ्तर दाखिल हो।